महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – वासठवां संस्करण (माह फरवरी, 2021)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के खाते में 200 करोड़ की राशि वर्चुअल वितरण कार्यक्रम
3. जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने विषय पर तीन दिवसीय वेबीनार
4. पंचायत पुरूस्कार हेतु ग्राम पंचायत...
5. गौसेवा आजीविका स्वसहायता समूह ग्राम बंधी
6. सहरिया जनजाति–एक परिचय
7. सतना जिले की पहली गौशाला
8. प्रयास
9. विकास एक व्यापक दृष्टिकोण
10. मनरेगा से हो रहा बावली का जीर्णोद्धार
11. सफलता की कहानी
12. ''मायानाथ के पक्के मकान का सपना हुआ पूरा'' सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना ने दिया आकार

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का वासठवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2021 का द्वितीय मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भोपाल के मिंटो हॉल से ''स्व–सहायता समूह क्रेडिट कैंप'' कार्यक्रम में महिला स्व–सहायता समूहों को 200 करोड़ की राशि का वर्चुअल वितरण किया गया, जिसे **''मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के खाते में 200 करोड़ की राशि वर्चुअल वितरण कार्यक्रम''** एवं साथ ही संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को **''जनपद पंचायत विकास योजना (BPDP) एवं जिला पंचायत विकास योजना (DPDP) तैयार किये जाने विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षक दलों का तीन दिवसीय वेबीनार''** समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इसके साथ–साथ **''पंचायत पुरूस्कार हेतु चयनित उमरिया जिले की ग्राम पंचायत डुडका''**, **''गौसेवा आजीविका स्वसहायता समूह ग्राम बंधी''**, **''सहरिया जनजाति–एक परिचय''**, **''सतना जिले की पहली गौशाला''**, **''प्रयास (मास्टर रिसोर्स पर्सन द्वारा दिये जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण)''**, **''विकास एक व्यापक दृष्टिकोण''**, **''मनरेगा से हो रहा बावली का जीर्णोद्धार''**, **''सफलता की कहानी''** एवं **''मायानाथ के पक्के मकान का सपना हुआ पूरा सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना ने दिया आकार''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के खाते में 200 करोड़ की राशि वर्चुअल वितरण कार्यक्रम

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भोपाल के मिंटो हॉल से ''स्व–सहायता समूह क्रेडिट कैंप'' कार्यक्रम में महिला स्व–सहायता समूहों को 200 करोड़ की राशि का वर्चुअल वितरण किया गया।

स्व–सहायता समूहों को ऋण वितरण का यह तीसरा चरण है, आज भारत में मनरेगा और ऋण वितरण के मामले में मध्यप्रदेश अग्रणी है।

मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना इसमें एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में लगातार काम किया जाएगा ताकि महिलाएँ सशक्त बनें और एक मजबूत समाज के निर्माण में भागीदार बनें। राज्य की महिलाओं को गरीब नहीं रहने दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह बनाने, उन्हें प्रशिक्षित करने, उन्हें बैंक लिंकेज उपलब्ध कराने और विपणन का लाभ लेकर आर्थिक लाभ प्रदान करने का काम जारी रहेगा। पौष्टिक भोजन तैयार करने का काम अब ठेकेदार नहीं बल्कि महिला स्वयं सहायता समूह करेंगी। इन समूहों के उत्पाद पोर्टल के माध्यम से अन्य देशों में पहुंच सकेंगे। यह गरीबी मिटाने का एक बड़ा साधन होगा। इस अवसर पर मध्यप्रदेश Aajeevika Mart भी लॉन्च किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने आज मिंटो हॉल सभाकक्ष में पंचायत और ग्रामीण विकास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों के खातों में 200 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करते हुए

कहा कि मध्य प्रदेश में इन समूहों को अब आगे ले जाया जाएगा। बड़ी, अचार और पापड़, और रसोई शेड के निर्माण, बंजर भूमि के समतलन, कार्य शेड निर्माण, अच्छी तरह से निर्माण, पशु आश्रय भवन, भंडारण भवन और पशुपालन से जुड़ा हुआ है। ये नई जिम्मेदारियां महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगी। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारी महिलाएं नहीं कर सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान समूहों की सफलता पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने विभाग का नया पोर्टल http://shgjivika-mp-gov-in/mpmart/inde भी लॉन्च किया, जिससे गाँवों के उत्पाद बेचने के काम में आसानी होगी। इससे पंजीकृत समूह, सरकारी संस्थान और व्यक्तिगत उपभोक्ता बेचकर अधिक लाभ कमा सकेंगे। राज्य में 10 लाख परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में 35 लाख से अधिक ग्रामीण गरीब परिवारों के 3 लाख से अधिक स्व–सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इस अवसर पर माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया तथा अपर मुख्य सचिव महोदय, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश डीएवाय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, श्री एल.एम. बेलवाल एवं अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर

जनपद पंचायत विकास योजना (BPDP) एवं जिला पंचायत विकास योजना (DPDP) तैयार किये जाने विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षक दलों का तीन दिवसीय वेबीनार

जनपद पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) एवं जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) तैयार किये जाने विशय पर जिला स्तरीय प्रि"ाक्षक दलो (DLTT) तीन दिवसीय कुल चार बैच(दिनांक 06–08 जनवरी 2021 एवं दिनांक 11–13 जनवरी 2021) (सुबह 10:00 से 1:30 एवं दोपहर 1:30 से 5:00 बजे तक अयोजित किया गया) गूगल मीट द्वारा आनलाईन प्रशिक्षण आनलाईन पोर्टल गूगल मीट के लिंक के माध्यम से आयोजित किया गया।

इस आयोजित वेबीनार का शुभारंभ संस्थान के उपसंचालक श्री शैलेन्द्र कुमार सचान द्वारा किया गया। आयोजित वेबीनार मे श्री सचान द्वारा प्रतिभगियो का मार्गदर्शन करते हुए वेबीनार की रूपरेखा एवं शासन की मंशा के बारे मे अवगत कराया गया ।

मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायती राज मंत्रालय (MoPR), भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार की जा रही हैं। विगत कुछ वर्षो से जीपीडीपी के संबंध में लगातार बातचीत के परिणामस्वरूप विभिन्न मीडिया और मंचों, ग्राम पंचायतों के माध्यम से तैयार की जाने वाले योजना के बारे में प्रदेश भर में अब GPDP की तैयारी, कार्यान्वयन और निगरानी के चरणों और प्रक्रियाओं के बारे में काफी जानकारी है।

ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) की तैयारी, कार्यान्वयन और निगरानी गुणात्मक रूप से बड़ी संख्या में ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए काफी नई हो सकती है।

इसे देखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बीपीडीपी और डीपीडीपी की तैयारी के लिए एक फ्रेमवर्क अक्टूबर, 2020 में एमओपीआर द्वारा प्रकाशित किया गया था ताकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस कार्य को पूरा किया जा सके।

बीपीडीपी और डीपीडीपी की तैयारी इस तथ्य के मद्देनजर और अधिक आवश्यक है कि, 15 वें वित्त आयोग, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों की सिफारिशों के आधार पर, वर्तमान से नियोजन के लिए अपने संसाधन लिफाफे का हिस्सा बनने के लिए एफएफसी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

वर्ष यानी 2020–21 के लिए यह निर्णय लिया गया है कि BPDP की तैयारी के लिए पहले प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। हालाँकि, चालू वित्तीय वर्ष में समय बहुत कम होने के कारण, सभी ब्लॉक पंचायतों को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान हैदराबाद, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र., राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थानों एवं जिला प्रशासन और अन्य सभी सहायता संगठनों के समर्थन से BPDP की तैयारी का कार्य तेजी से पूरा करना होगा।

इस प्रकार से जनपद पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) एवं जिला पंचायत विकास योजना

(डीपीडीपी) 2021–22 तैयार करने हेतु ग्रामीणजनों की सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से जनभागीदारी अभियान (प्यूपल प्लान कैम्पेन) दिनांक 02 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 की अवधि में चलाया जा रहा है।

इस प्रयोजन के लिए, MoPR द्वारा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को भेजी गई एडवाइजरी में उल्लेखित समय–सीमा के भीतर, फ्रेमवर्क के आधार पर, सभी प्रमुख हितधारकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। सभी संबंधित प्रशिक्षकों और अन्य प्रमुख हितधारकों के प्रशिक्षण के कैस्केड मोड की रणनीति तैयार की गई। जिसमें सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, हैदराबाद द्वारा महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–मध्यप्रदेश के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित कर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स टीम (SLMTT) के रूप में तैयार किया गया।

इसके बाद संस्थान के प्रशिक्षित संकाय सदस्यों राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स टीम (SLMTT) द्वारा दिनांक 06 से 08 जनवरी 2021 एवं दिनांक 11–13 जनवरी 2021 की अवधि में प्रशिक्षण दिया गया । इन चारों प्रशिक्षणों मे संस्थान के संकाय सदस्यो डॉ संजय कुमार राजपूत ,श्री नीलेश कुमार राय ,श्री सुरेन्द्र कुमार प्रजापति एवं श्री पंकज राय द्वारा सत्र समन्वयक के दायित्व का निर्वहन किया गया। इन चार बैचों में प्रदेश के प्रत्येक जिले से न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 40 अधिकारियों को जिला स्तरीय प्रशिक्षक दलों (DLTT) के रूप मे भाग लिया। मध्यप्रदेश के 52 जिलों के कुल 975 प्रतिभागी शामिल हुए। जिसमे प्रथम बैच मे 239 द्वितीय बैच मे 274 तृतीय बैच मे 216 एवं चतुर्थ बैच मे 246 प्रतिभागी उपस्थित हुए। प्रशिक्षित जिला स्तरीय प्रशिक्षक दलों (DLTT) द्वारा अपने अपने जिलों एवं जनपद पंचायतों के जिले व ब्लाक स्तर के इंटरमीडिएट पंचायत योजना समिति (IPPC) और सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप्स (SWG) के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जावेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान (NIRD&PR) हैदराबाद द्वारा प्रशिक्षित राज्य स्तर के मास्टर ट्रेनर जिनके द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया गया ।

प्रशिक्षण के अंत मे सभी प्रतिभागियो द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित फीडबैक एवं सुझाव दिए गए। प्रशिक्षण के सत्र समन्वयकों द्वारा प्रतिभागियो की शंका का समाधान कर सभी को धन्यवाद देते हुए प्रशिक्षण का समापन किया गया ।

अभिषेक नागवंशी
संकाय सदस्य

पंचायत पुरूस्कार हेतु चयनित उमरिया जिले की ग्राम पंचायत डुडका

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतू केन्द्र एवं राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्पूर्ण प्रदेश में पंचायतों के बीच कई उत्कृष्ट उदाहरण हैं और ऐसी पंचायतों को पहचानने और प्रोत्साहित करने की और भी आवश्यकता है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2011–12 से राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुशंसित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित कर रहा है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिए जाते हैं।

इसी तारतम्य में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण एवं पंचायतीराज संस्थान, अधारताल जबलपुर के निरिक्षण दल द्वारा दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हेतु चयनित उमरिया जिले के मानपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत डुडका ग्राम पंचायत का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें पंचायत पुरस्कार हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए पंचायत के विकास कार्यो का निरीक्षण किया गया जिसमें से निम्नलिखित बिन्दु उल्लेखनीय पाये गए।

1. **जनभागीदारी से तालाब निर्माण**–: ग्राम पंचायत डुडका के अन्तर्गत एक पुराना तालाब जीर्ण–छीर्ण हो चुका था। जिसे ग्राम वासियों के जनभगीदारियों की सहायता से वर्ष

ग्राम के जनसमूह के द्वारा लगभग एक माह में उसकी मरम्मत कर उसको नया स्वरूप दिया गया। आज वह तालाब सभी ग्रामवासियों के उपयोग में आ रहा है, एवं पंचायत के किसानों के में भी हर्ष व्याप्त है, कि सभी लोगो के प्रयास से इस तालाब के म सिचाई का अच्छा कार्य हो रहा है। साथ ही मछली पालन का भी कार्य किया जा रहा है। जिससे ग्राम पंचायत के स्वंय के आय के स्त्रोत तैयार हो रहे है।

2. **ग्राम पंचायत परिसर में फलो की खेती**–: ग्राम पंचायत परिसर में लगभग 200 नग केले के पौधों को रोपित किया गया था जिससे

वर्तमान में फल प्राप्त करके बाजार में उसके विक्रय से भी ग्राम पंचायत की आय प्राप्त हो रही है। यह कार्य भी जनभागीदारी से किया गया है।

3. **ग्राम पंचायत परिसर में योगा क्लास का संचालन**–: ग्राम पंचायत परिसर में सुबह प्रतिदिन छोटे बच्चों एवं बुजुर्गों के सहयोग से योगा क्लास संचालित की जा रही है। जो प्रतिदिन सुबह 08:00 बजे से 09:00 बजे तक संचालित की जाती है।

4. **मनरेगा योजना के अन्तर्गत जल सरंक्षण का कार्य**–:मनरेगा योजना के अन्तर्गत जल स

जैसे – स्टापडैम, लघु तालाब, तालाब विस्तारीकरण, आदि का कार्य किया गया जिसके तैयार होने से लोगो को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो जाता है। जिससे ग्रम पंचायत के लोग काफी खुश हैं।

5. **मनरेगा अन्तर्गत कार्य**–: पात्र हितग्राहियों हेतु कपिल धारा कूप निर्माण कराया गया जिसे ग्रामवासी अपने खेतों की सिचाई करते हैं एवं सब्जी अनाज उगाते है, जिससे वे स्वंयं के उपयोग के अलावा उत्पादन की गई सब्जी एंव अन्य फसल को बेचकर आय अर्जित करते हैं। साथ–साथ ग्राम पंचायत परिसर में ही हर वर्ष 500 पौधे जनभागीदारी से तैयार करके ग्राम वासीयों के द्वारा 500 पौधे रोपित किए जाते हैं यह कार्य 2016 से प्रारम्भ किया गया है।

सुरेन्द्र प्रजापति
संकाय सदस्य

गौसेवा आजीविका स्वसहायता समूह ग्राम बंधी

मुख्यमंत्री गौसेवा योजना एवं गौशाला परियोजना अन्तर्गत ''गौसेवा आजीविका स्वसहायता समूह ग्राम बंधी, ग्राम पंचायत मझगवां, जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर द्वारा गौशाला संचालन'' नामक यह लेख तैयार किया गया है।

योजना से संबंधित परिपत्रों में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं श्री अर्जुन यादव, सरपंच, मझगवां, श्रीमती रेखा यादव, अध्यक्ष, गौशाला स्वसहायता समूह बंधी, श्री सुरेश प्रजापति, आजीविका मिशन, पनागर, जबलपुर से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह लेख तैयार किया है।

मुख्यमंत्री गौसेवा योजना एवं गौशाला परियोजना

मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ''गौशाला परियोजना'' एवं पशुपालन विभाग द्वारा ''मुख्यमंत्री गौसेवा योजना'' चलाई जा रही है। निराश्रित गौवंश को आश्रय देने, उनकी आवश्यक देखभाल करने, गोबर/गौमूत्र से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में गौशालाएं स्थापित की जा रहीं हैं व इन गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है।

गौशाला के लिए न्यूनतम मानक संहिता

मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग द्वारा गौशालाओं की स्थापना व संचालन के लिए कार्य विधियॉ एवं न्यूनतम मानक संहिता बनाई गई है। इस संहिता में गौशाला की बनावट, गौशालाओं में गौवंश के आने पर की जाने वाली गतिविधियां, गौशालाओं में

स्थान की उपलब्धता, आवश्यक सुविधाएं, संसाधन, व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

जिला स्तरीय गौशाला समन्वय समिति

इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में ''जिला स्तरीय गौशाला समन्वय समिति गठित की गई है। इस समिति के सहसचिव उपसंचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं होते हैं।

जिले में निराश्रित गौवंश की जानकारी एकत्रित करना, दुर्घटना वाले क्षेत्रों को पता करना, गौशाला निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल का चयन, गौशाला संचालन के लिए एजेंसी का चयन, डीपीआर अनुमोदन करने, परियोजना संचालन के लिए वित्तीय व्यवस्था का अनुश्रवण आदि का दायित्व जिला स्तरीय समन्वय समिति को सौंपा गया है। गौशाला निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है।

अनुविभागीय गौशाला परियोजना कियान्वयन समिति

प्रत्येक अनुभाग स्तर पर ''अनुविभागीय गौशाला परियोजना कियान्वयन समिति'' गठित की जाती है। जिसके अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं सहसचिव पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, पशुपालन विभाग होते हैं। इस समिति को गौशाला निर्माण व संचालन की सतत् निगरानी एवं अनुश्रवण, विभागों के बीच समन्वय, स्थानीय समस्याओं का निराकरण का दायित्व सौंपा गया है।

अभिसरण (कन्वर्जन्स) से गौशाला निर्माण व संचालन

गौशालाओं के निर्माण में लगने वाली राशि मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वन विभाग, चारागाह विकास योजना की राशि तथा राज्य स्तर पर उपलब्ध पंचायत निधि एवं जिला/ जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत में उपलब्ध निधि से किया जावेगा।

गौशाला के निर्माण के पश्चात् उसका सफल संचालक सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के दिशा–निर्देशों अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत चारागाह विकास व नर्सरी निर्माण भी किया जा रहा है। गौशाला में उपलब्ध गौवंश की हरा चारे की मांग के प्रबंधन हेतु चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण किया जावेगा। गौशाला संचालन में गौमूत्र, जैविक खाद् उपलब्ध होगा जिसका उपयोग चारागाह विकास और वृक्षारोपण किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत गौशाला का निर्माण करने के साथ–साथ उसके संचालन के लिए भी उत्तरदायी होंगे। विभिन्न मदों यथा चारा/भूसा की व्यवस्था, संधारण तथा अनुरक्षण आदि के लिए आवश्यक राशि पंच परमेश्वर पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जावेगी। ग्राम पंचायत किसी संस्था जैसे आजीविका मिशन के महिला स्वसहायता समूह, स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से भी गौशाला का संचालन कर सकती है।

ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ''गौशाला परियोजना'' के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

प्रथम चरण में एक हजार गौशालाओं का निर्माण चयनित ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है।

गौशाला परियोजना हेतु जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। जिसके अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों में 6,96,111 निराश्रित गौवंश की संख्या है इस हेतु 1000 गौशालाओं के निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला जबलपुर में निराश्रित गौवंश की संख्या 14,990 है तथा 30 गौशाला निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

ग्राम बंधी में गौशाला निर्माण एवं संचालन

ग्राम पंचायत मझगवां ग्राम बंधी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, पशु चिकित्सा सेवाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार गौशालाओं का निर्माण व संचालन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश आजीविका मिशन, स्व–सहायता समूह, महात्मा गांधी नरेगा की चारागाह विकास उपयोजना के अभिसरण (कनवरजेंस) से गौशालाओं का निर्माण व संचालन हो रहा है।

गौशाला परियोजना अन्तर्गत प्रदेश के जबलपुर जिले के ब्लॉक पनागर में 11 गौशालाओं के निर्माण हेतु स्वीकृती दी गई है। ग्राम पंचायत पंचायत मझगवां के सहायक ग्राम ग्राम बंधी में गौसेवा आजीविका स्व–सहायता समूह के द्वारा गोशाला का संचालन किया जा रहा है। इस समूह का नाम ''गौसेवा आजीविका स्वसहायता समूह–ग्राम बंधी है। ग्राम पंचायत मझगवां के सरपंच श्री अर्जुन यादव एवं सचिव श्रीमती सुषमा पटेल द्वारा गौशाला निर्माण एवं संचालन में पूरा योगदान दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश आजीविका मिशन के अंतर्गत गौ सेवा समूह का गठन किया गया है। सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर पात्र परिवारों को समूह में शामिल किया गया है। इस समूह में शामिल अधिकतर परिवार पहले से ही पशुपालन का कार्य करते रहे हैं। इनके अनुभवों को देखते हुये गौ शाला संचालन का कार्य समूह को सौंपा गया है।

गौसेवा आजीविका स्वसहायता समूह–ग्राम बंधी की महिला सदस्यों द्वारा इस गौशाला का संचालन किया जा रहा है। समूह में कुल 12 महिलाएं यथा श्रीमती विमला, श्रीमती मनीषा, श्रीमती मुन्नी बाई, श्रीमती रज्जो बाई, श्रीमती किरण बाई पटेल, श्रीमती रश्मि, श्रीमती शिव कुमारी, श्रीमती रेखा, श्रीमती गीता, श्रीमती सीता, श्रीमती शान्ती, श्रीमती पूजा विश्वकर्मा सदस्य हैं। समूह की अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव एवं सचिव श्रीमती गीता बाई हैं। इस समूह का पंजीयन मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल में करवाया गया है।

स्व–सहायता समूह ग्राम बंधी एवं ग्राम पंचायत मझगवां के मध्य गौशाला संचालन के लिए अनुबंध किया गया। ग्राम पंचायत मझगवां से गौशाला के लिए दो एकड़ की भूमि स्व–सहायता समूह को प्राप्त हुई थी। इस भूमि में समूह द्वारा गौशाला तैयार की गई। इसके साथ में पांच एकड़ भूमि चरागाह बनाने के लिए प्राप्त हुई थी। ग्राम बंधी में यह गौशाला सह चरागाह का निर्माण किया गया है। चारागाह में अभी नेपियर घाँस लगाई गई है।

ग्राम बंधी में स्व–सहायता समूह द्वारा संचालित किये जाने वाले इस गौशाला में गांव के ऐसे

पशुओं को रखा जा रहा है जिन्हें किसी का आसरा नहीं है। इस गांव के लगभग 60 प्रतिशत निराश्रित पशुओं को इस गौशाला में रखा जावेगा। इनके साथ में 40 प्रतिशत दुधारू पशुओं को रखा जावेगा। पशुओं

के आहार के लिए प्रति पशु के अनुसार पन्द्रह रूपये भूसे और पॉच रुपए अनाज हेतु अनुदान शासन से प्राप्त होगा। गौशाला में रखे जाने वाले पशुओं की चिकित्सा हेतु पशु विभाग से एक गौ सेवक उपलब्ध कराया गया है।

ग्राम बंधी गौशाला की वर्तमान प्रगति

ग्राम बंधी में तैयार हुई गौशाला में अभी तक 50 निराश्रित पशुओं को रखा गया है। जिनमें 6 दुधारू पशु भी है। स्व–सहायता समूह द्वारा गौशाला में पशुओं का रख रखाव किया जा रहा है। समूह के सदस्य पशुओं को समय पर पशुओं को आहार यथा चारा–भूसां की व्यवस्था करते हैं। अभी पशु आहार की व्यवस्था शासन द्वारा दिये जा रहे अनुदान राशि से की जाती है।

ग्राम बंधी गौशाला के लिए कार्ययोजना वित्तीय वर्ष 2020–21

(1) कृषि आधारित औषधियों एवं खाद्य तैयार करना

मनरेगा योजना से समन्वय कर 10 नाड़ेप टांका व 5 वर्मी कमपोस्ड के टांका निर्माण कर जैविक खाद्य तैयार की जावेगी। गौशाला में जीवा अमरत, घन जीवामृत व अन्य जैविक कीटनाशक तैयार किया जावेगा। गौशाला में तैयार की जाने वाली कृषि आधारित औषधियों एवं खाद्य का उपयोग स्व–सहायता समूहों द्वारा किया जावेगा।

(2) दैनिक उपयोग हेतु सामग्री आधारित गतिविधि

ग्राम बंधी में निर्मित व संचालित गौशाला के माध्यम से स्व–सहायता समूहों द्वारा धूपबत्ती,

अगरबत्ती, नहाने के साबुन, उबटन, सेरेमनी दीपक, पूजन हेतु हवन सामग्री का तैयार की जावेगी।

(3) गोबर शिल्प आधारित गतिविधि

गौशाला में रखे गये पशुओं से मिलने वाले गोबर से गोबर शिल्प आधारित गतिविधियां समूह द्वारा चलाई जावेंगी। गोबर से तोरण, लेंप, सजावटी वस्तुएं, मोबाईल स्टैंड, सजावटी पटा निर्माण किया जावेगा।

(4) अन्य निर्माण

गो मूत्र अर्क, गो मूत्र, कंडे, गो काष्ठ, गोबर के दीपक व गमले तैयार किये जावेंगे। गौशाला में स्व–समूह द्वारा देशी नस्ल की 10 गिर व शाहीवाल नस्ल गाय ली गई हैं। इनसे मिलने वाले दूध से दुग्ध उत्पादन, खोया निर्माण, पनीर निर्माण किया जावेगा। उक्त कार्य हेतु समूह बैंक लोन व समूह, ग्राम संगठन द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहयोग का उपयोग करेगा।

बंधी ग्राम की गौशाला से सकारात्मक परिवर्तन

स्व–सहायता के 12 सदस्य ग्राम बंधी के गौशाला संचालन में शामिल हैं। इसमें से 5 सदस्यों द्वारा पूर्णतः अपनी सेवाएं गौशाला को दी जा रही हैं। इससे इन्हें अतिरिक्त रोजगार के अवसर मिले हैं और इन्हें आर्थिक लाभ भी मिलने लगा है। गौशाला की गतिविधियां विस्तारित होने पर अन्य सदस्यों को सीधे इस गौशाला से जोड़ लिया जावेगा।

ग्राम बंधी व आसपास के ग्रामों के ग्रामीण कृषकों की फसलों को आवारा पशुओं से नुकसान हो जाता था। गौशाला बनने से ग्राम बंधी एवं आसपास के अन्य ग्रामों के आवारा पशुओं पर नियंत्रण हो रहा है। इससे ग्रामीण कृषकों की फसलों में नुकसान कम हुआ है।

गौशाला बनने से ग्राम बंधी का संपर्क क्षेत्र बढ़ा है। गौशाला में अब लगातार आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास, पशुपालन विभाग के चिकित्सक, तकनीकी अधिकारियों का आना–जाना होता है। इससे ग्रामीणजनों में पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, गौवंश की सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता, जानकारी, तकनीकी जानकारी मिल रही है।

चुनौतियां

ग्राम बंधी में तैयार की गई गौशाला वन क्षेत्र के समीप है। गौशाला सीमा की घेराबंदी नहीं की जा सकी है जिससे गौशाला की सुरक्षा करने में परेशानी होती है। गौशाला बाड़ (फेंसिंग) लगाने की आवश्यकता है।

गौशाला के संचालन का दायित्व ग्राम पंचायत एवं स्व–सहायता समूह का है। गौशाला से जुड़े हुये पंचायत पदाधिकारियों/ अधिकारी/ कर्मचारियों/

समूह के सदस्यों को गौवंश एवं गौशाला संचालन की जानकारी व तरीकों को सिखाये जाने की आवश्यकता है।

सीखने की बात

मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ''गौशाला परियोजना'' एवं पशुपालन विभाग द्वारा ''मुख्यमंत्री गौसेवा योजना'' अन्तर्गत ग्राम बंधी में गौशाला तैयार की गई है। जिसका संचालन गौसेवा आजीविका स्वसहायता समूह–ग्राम बंधी की महिला सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। यह गौशाला मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग द्वारा गौशालाओं की स्थापना व संचालन के लिए कार्य विधियॉ एवं न्यूनतम मानक संहिता अनुसार तैयार की जा रही है। जिला, अनुभाग, ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों के मार्गदर्शन में गौशाला की गतिविधियां चलाई जा रहीं हैं।

गौशालाओं के निर्माण में लगने वाली राशि मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वन विभाग, चारागाह विकास योजना की राशि तथा राज्य स्तर पर उपलब्ध पंचायत निधि एवं जिला/ जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत में उपलब्ध निधि से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला संचालन का दायित्व ''गौसेवा आजीविका स्वसहायता समूह–ग्राम बंधी'' को सौंपा गया है। इस समूह का पंजीयन मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल में करवाया गया है।

गौशाला के लिए दो एकड़ एवं चारागाह के लिए पॉच एकड़ भूमि ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पशुओं के आहार के लिए प्रति पशु के अनुसार पन्द्रह रूपये भूसे और पॉच रुपए अनाज हेतु अनुदान शासन से प्राप्त होता है। गौशाला में रखे जाने वाले पशुओं की चिकित्सा हेतु पशु विभाग से एक गौ सेवक की सेवाएं उपलब्ध कराई गई है।

ग्राम बंधी में तैयार हुई गौशाला में अभी तक 50 निराश्रित पशुओं को रखा गया है। जिनमें 6 दुधारू पशु भी है। स्व–सहायता समूह द्वारा गौशाला में पशुओं का रख रखाव किया जा रहा है।

गौसेवा आजीविका स्वसहायता समूह–ग्राम बंधी द्वारा गौशाला गतिविधियों को विस्तारित करने की कार्ययोजना भी तैयार की गई। गौशाला में नाड़ेप टांका, वर्मी कमपोस्ड के टांका निर्माण कर जैविक खाद्य तैयार करना, गौशाला में जीवा अमरत, घन जीवामृत व अन्य जैविक कीटनाशक तैयार करना, कृषि आधारित औषधियों एवं खाद्य का उपयोग स्व–सहायता समूहों द्वारा किये जाने की योजना है।

समूह द्वारा गौशाला से मिलने वाली सामग्री से धूपबत्ती, अगरबत्ती, नहाने के साबुन, उबटन, सेरेमनी दीपक, पूजन हेतु हवन सामग्री, गोबर शिल्प आधारित गतिविधियां जैसे गोबर से तोरण, लेंप, सजावटी वस्तुएं, मोबाईल स्टैंड, सजावटी पटा निर्माण, गो मूत्र अर्क, गो मूत्र, कंडे, गो काष्ठ, गोबर के दीपक व गमले तैयार किये जावेंगे।

गौशाला से सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देने लगे हैं। अब इस क्षेत्र के आवारा पशुओं पर नियंत्रण हो रहा है। गौशाला से स्व–सहायता समूह की सदस्यों को आजीविका के विकल्प मिलने लगे हैं।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

सहरिया जनजाति–एक परिचय

प्रस्तावना –

सहरिया का अर्थ है शेर के साथ रहने वाला अर्थात जंगल में रहने वाला। सहरिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र अन्य जनजातियों के छोटे क्षेत्रों की तुलना में भिन्न प्रकार का है। यह जनजाति म.प्र. के उत्तर–पश्चिमी जिलों में फैली हुई है। यह जनजाति प्रमुखतः से ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के जिलों श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, दतिया, गुना, विदिशा इत्यादि जिलों में पाई जाती है।

इन जिलों में जनसंख्या का 84.65 प्रतिशत निवास करता है। श्योपुर जिले का कराहल विकासखण्ड सहरिया बाहुल्य विकासखण्ड है जो म.प्र. के 89 जनजाति विकासखण्डों में से एक है।

आवास (निवास) –

सहरिया जनजाति के लोगों को गांव से बाहर, पुरा, रपटा, टोले में रहना पसंद है, इनका अपना अलग कुनबा रहता है, जहां ये समूह के रूप में निवास करते हैं।

सहरिया घर समूह में बनाते हैं जिनको थोक कहते हैं। घर के बाहर कोटों की छोटी–छोटी लकडियों की बेतरतीब बाड़ा, किसी पेड की डाली पर रंगीन कपड़ा तो किसी पत्थर के ऊपर पुरिह पत्थर के अनेक कातलों से ढकी छत और रहने के लिए मात्र एक या दो कमरे जो झोंपड़ीनुमा होते हैं, पत्थर और मिट्टी की

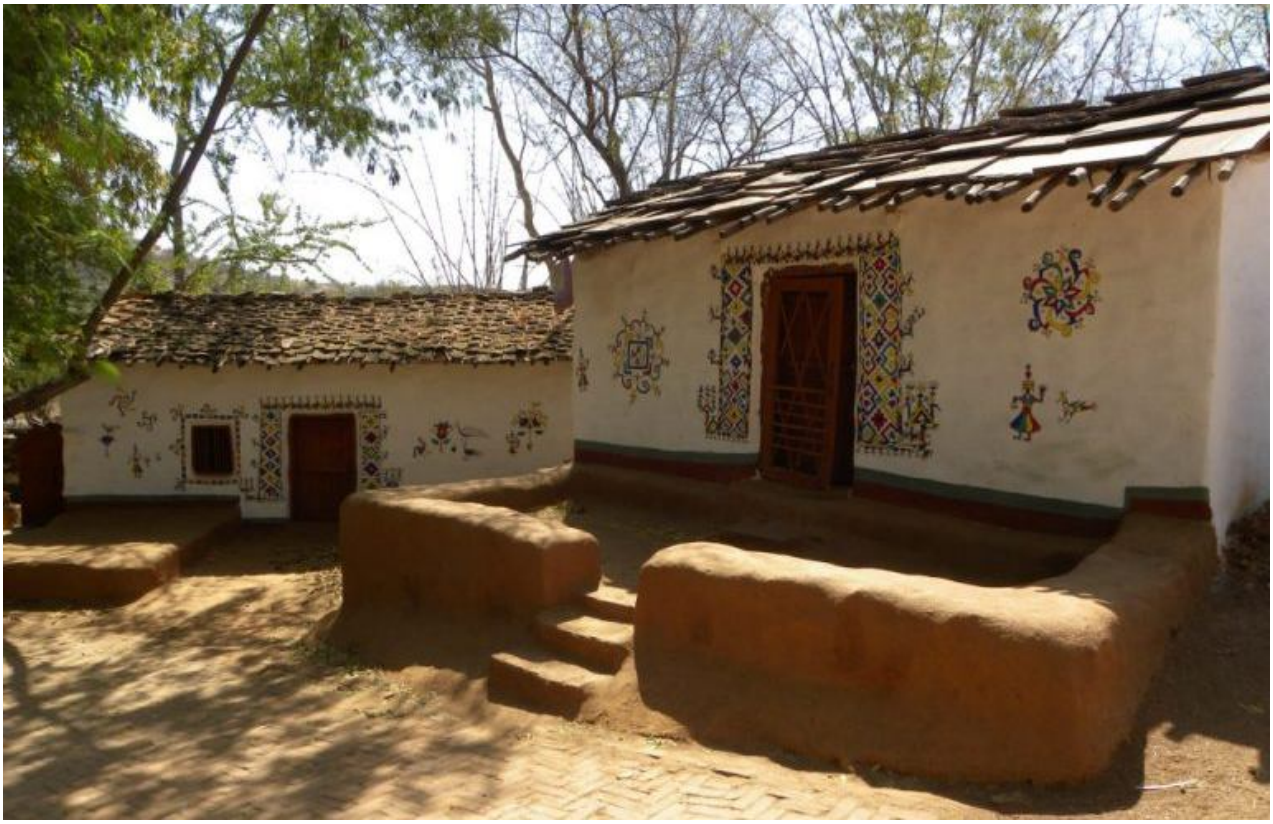

दीवार से घर की दीवारें खड़ी करते हैं, छत खपरैल या पेड़–पौधों की टहनीयों, पत्तों, कातलों से ढकी रहती है। घरों के आगे छोटे चबूतरे होते हैं। जहां आने–जाने वाले बैठते हैं, आवास में खाने–पीने, सोने के कार्य होते हैं। पहले बांस का उपयोग होता था, अब पत्थर, मिट्टी का प्रयोग करते हैं।, हितग्राहियों को उज्जवला योजना का लाभ मिल रहा है। आज भी सहरिया जनजाति के लोग अपने लिए पारम्परिक (Traditional) मकान में ही रहना पसंद करते हैं, जिनका वर्णन ऊपर किया है।

शिक्षा –

अधिकतर सहरिया जनजाति के लोग अशिक्षित (निरक्षर) हैं, यदि इनके यहां कोई लड़का या लड़की आठवीं तक शिक्षा प्राप्त कर ले तो उसे उच्च शिक्षित माना जाता है, महिलाओं में साक्षरता बहुत ही कम है।

रोजगार –

ज्यादातर सहरिया जनजाति के लोग मजदूरी ही करते हैं और इसी से अपना पेट पालते हैं। कुछ परिवारों के पास थोड़ी बहुत जमीन होती है जिससे अपने लिए अनाज पैदा करते हैं। सहरिया परिवार को मोटा अनाज ज्यादा पसंद है, शराब और बीड़ी के विशेष शौकीन हैं।

स्वास्थ्य –

सहरिया जनजाति के लोग अपने स्वास्थ के प्रति सजग नहीं हैं, ज्यादातर सहरिया पुरुष और महिलाओं की औसत आयु 50 वर्ष है। शराब और बीड़ी के कारण इनमें टी.बी. (क्षय रोग) ज्यादा पाया जाता है।

भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने के कारण ज्यादातर बच्चे कुपोषित और अतिकुपोषित होते हैं। सहरिया जनजाति बाहुल्य गांवों में कुपोषण के निदान और स्वास्थ संबंधी मसलों पर बेहतर काम के लिए कोशिश की जानी चाहिए।

वेशभूषा –

सहरिया जनजाति के पुरुष धोती–कमीज व साफा पहनते हैं तथा स्त्रियां घघरा, लुंगड़ी और लम्बी बाहों की कमीज पहनती हैं। स्त्रियां शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। सहरिया जनजाति के लोग बाल्मिकी ऋषि को अपना कुल देवता मानते हैं।

संजय जोशी,
संकाय सदस्य

सतना जिले की पहली गौशाला

सतना जिले की अमरपाटन जनपद के गोंरा ग्राम पंचायत में सरपंच सावित्री सिंह पटेल के नेतृत्व में 100 आवारा गोंवंश हेतु 27 लाख की लागत से गोंशाला बनाई गई । जिनमें जनपद व जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं इंजीनियर , सचिव , जी.आर. एस. का विशेष योगदान रहा ।

गोंशाला का संचालन लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह सहित 3 अन्य एस. एच.जी. की लगभग 50 महिलाओं द्वारा किया जा रहा है । उल्लेखनीय हैं कि गोंशाला का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं सतना आकर किया गया था ।

गोंशाला में वर्तमान में लगभग 15 नये गोंवंश का जन्म हो चुका है , साथ ही नस्ल सुधार में पशुपालन विभाग के सहयोग से दुग्ध उत्पादन भी बढाया गया है । समूह द्वारा विगत दीपावली , गणेश चतुर्थी पर गोबर की प्रतिमायें दीपक बनाकर '' पर्यावरण मित्र मूतियॉ '' बेच कर आय सृजित की गई है । शेष बचे गोबर से वर्मीकम्पोस्ड बनाकर एवं गोबर के लट्डे एवं कंडे बनाकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा रही है ।

इस तरह गोरा पंचायत की गोंशाला ने, न केवल आवारा पशुओं द्वारा किसानों के खेतों की सुरक्षा की है, साथ ही एस. एच. जी. की महिलों को आय के मजबूत साधन उपलब्ध करवायें है ।

संदीप यादव,
विकास खण्ड अधिकारी

प्रयास
(मास्टर रिसोर्स पर्सन द्वारा दिये जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण)

यदि सही मार्गदर्शन और पक्का इरादा हो तो व्यक्ति जीवन के पथ में अग्रसर होता है। **सुश्री बबीता लिलोरिया** के कथनानुसार– ''जब मैं क्षे.ग्रा.वि.प.रा.प्रशिक्षण केंद्र उज्जैन में एम.आर.पी सर्टिफिकेशन कोर्स में गई तब हमें उपायुक्त (विकास)/प्राचार्य श्रीमती सीमा अग्रवाल मैड़म एवं सीनियर फैकल्टी श्री जी.एस. लोहिया सर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नवाचार करने हेतु प्रेरित किया गया था, फलस्वरुप मैने ग्राम पंचायत नयापुरा जनपद बागली जिला देवास की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता विषय पर प्रशिक्षण दिया गया।''

साथ ही ग्राम नयापुरा में चिल्ड्रन एंगेजमेंट प्रोग्राम, सीतामाता आजीविका महिला संगठन की ओर से

कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

साथ ही एमआरपी बबीता लिलोरिया ने बताया कि उसके द्वारा जल परीक्षण किट द्वारा शुद्ध पेयजल का परीक्षण प्रदर्शन कर नयापुरा ग्राम की महिलाओं को खराब पानी के पीने से होने वाली बीमारियों की जानकारी देकर शुद्ध पेयजल का महत्व समझाया गया।

शुद्ध पेयजल जिसमें पी.एच.टेस्ट, क्लोराईड, फ्लोराइड, आयरन टेस्ट, नाइट्रेट टेस्ट के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

वर्तमान परपेक्ष्य में इनके द्वारा प्रशिक्षण कार्य बखूबी किया जा रहा है, जो की प्रशंसा के योग्य है ऐसी प्रतिभाशाली सामाजिक कार्यकर्ता से अन्य मास्टर रिसोर्स पर्सन को भी प्रेरणा लेना चाहिए।

घनश्याम सिंह लोहिया,
संकाय सदस्य

विकास एक व्यापक दृष्टिकोण

अब समय आ गया है कि जब हमें विकास के अर्थ को समझने के लिए व्यापक दृष्टिकोण देने की आवश्यकता हैं। विकास के अर्थ को समझने के लिए केवल भौतिक संसाधनों की प्राप्ति से जोड़कर देखना ही पर्याप्त नही होगा।

यहाँ हमें यह मानना कि भौतिक संसाधनों को प्राप्त करके हम सुखी जीवन जी सकते हैं यह हमारी भूल होगी। केवल आर्थिक दृष्टि से प्रगति का आकलन करना उचित नही होगा। इसलिए जहाँ तक मानव विकास की बात आती है वहाँ विकास को एक व्यापक एवं सार्थक दृष्टिकोण देने की आवश्यकता हैं।

इसके लिए सर्वप्रथम शारीरिक, मानसिक एवं सामजिक के बाद आर्थिक दृष्टि देनी होगी। मानव विकास के क्रम में भौतिक साधनों की प्राप्ति से विकास को जोड़कर देखने पर पाते है कि जितने भी भौतिक संसाधन हैं वे व्यक्ति को आलसी–परावलंबी बनाने के साथ कई शारीरिक व्याधियों को जन्म देने वाले है जिससे मनुष्य की कार्यक्षमता प्रभावित होती हैं तथा उन पर आश्रित रहने से निर्भरता बढ़ती जाती हैं और मनुष्य का सुखमय जीवन शनै–शनै छिनता चला जाता है और अंत में बीमारियों पर खर्च बढ़ने से पुनः आर्थिक एवं शारीरिक व मानसिक रूप से दुखी होने के कारण नई–नई व्याधियों का शिकार होकर जीवन कष्टमय बन जाता हैं।

प्रगति या विकास के नाम पर हम केवल उन चीजों का ही चयन करते है जिनका संबंध भौतिक संसाधनों की प्राप्ति से है जो अंततः दुःख ही पहुँचाते है इसलिए इन्हें उचित नही ठहराया जा सकता।

हमने तथाकथित शोक–मौज, सुख–सुविधा के साधन चुन रखे है और उनकी प्राप्ति के लिए मानव की अंधी दौड़ कहीं न कहीं बीमारी व पतन के मार्ग पर ही ले जाती है इसलिए सही अर्थो में हमें विकास की परिभाषा को फिर से गढ़नी होगी जो भारतीय संस्कृति अनुरूप सामाजिक, धार्मिक परम्पराओं में वैज्ञानिकता के आधार पर समाहित नैतिक मानव मूल्यों, जीवनशैली, रहन–सहन में रची–बसी है जिसे हमारे द्वारा दिग्भ्रमित होने से विस्मृत कर दिया गया है उसे व्यवहार में लाकर समय के साथ पुनः प्रतिपादित कर मूल रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। विनोबा भावे जी के अनुसार देश के सर्वांगिंण विकास के साथ मानव विकास हेतु प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक को अपने सहपुरूषार्थ, सामुहिक प्रयास, सहकर्म द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ा सके।

विमल शंकर नागर,
संकाय सदस्य

मनरेगा से हो रहा बावली का जीर्णोद्धार

ग्रामीण परिवारों को 100 दिवस का रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से बनी, महात्मा गांधी रोजगार गांरटी योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य करते हुए, ग्रामीण कृषकों के लिए मिल का पत्थर साबित हो रही है।

सुरज कुण्ड बावली, ग्राम पंचायत देवगढ, जनपद पंचायत मोहखेड

जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जनपद पंचायत मोहखेड की ग्राम पंचायत देवगढ़ में देखने को मिला है। यहॉ पर गोंड राजाओं के समय की लगभग 400 वर्ष पुरानी बावलियों का जीर्णोद्धार मनरेगा योजना से किया जाकर ग्रामीण कृषकों को रोजगार उपलब्ध करोते हुये सिंचाई के साधन को सशक्त किया जा रहा है। देवगढ़ में गोंड राजाओं का ऐतिहासिक किला स्थित है। साथ ही यहॉ पर एक लोक क्विदंती के अनुसार देवगढ़ राज्य में 800 कुऑ और 900 बावली का होना स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है। जिसके आधार पर प्रशासन के द्वारा मैदानी अमले को निर्देशित कर देवगढ़ ग्राम पंचायत में एवं उसके आस पास के क्षेत्रों में बावलियों का पता लगवाया गया है। वर्तमान में देवगढ़ में 40 बावलियों को चिन्हांकित कर 21 बावलियों का जीर्णोद्धार का कार्य 108.55 लाख रूपये की राशि से कराया जा रहा है। जिसमें हितग्राहियों के सिंचाई के साधन बढ़ने के साथ–साथ उन्हें मनरेगा योजना के कार्यों में कार्य करने की मजदूरी भी प्राप्त हो रही है।

हितग्राही श्री भजनलाल कुडापे, ग्राम पंचायत देवगढ, जनपद पंचायत मोहखेड

ब्यान :– हितग्राही श्री भजन लाल कुडापे ने बताया कि मेरे खेत में एक बावली थी। जो कि मिट्टी एवं पेड पौधों से भर गयी थी एवं खसलकर टूट गई थी। नरेगा

हितग्राही श्री फागूलाल पिता सुकमन कुमरे, ग्राम पंचायत देवगढ, जनपद पंचायत मोहखेड

से मेरी बावली का मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। जिसमें काम करने पर मुझे मजदूरी तो मिल ही रही है। साथ ही अब मुझे खेती के लिये साल भर पानी भी मिलता रहेगा। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरे खेत में इतनी अच्छी बावली है।

ब्यान :– हितग्राही श्री फागूलाल पिता सुकमन कुमरे ने बताया कि उनके खेत में तीन चार सौ साल पुरानी गोंड राजाओं के समय की बावली थी, जो कि काफी जीर्ण शीर्ण होने के साथ ही उसमें मलवा भर गया था। जिससे उसमें पेड–पौधे उग आये थे। जिन्हें वर्तमान में रोजगार गारंटी योजना से मरम्मत कराई जा रही है। जिससे मैं अपने खेत में अब गेंहू एवं अन्य सब्जी की अच्छी फसल ले पाऊगॉ। मेरी बावली में कार्य करने पर मुझे मजदूरी की राशि भी प्राप्त हो पा रही है। पूर्व में मेरे परिवार को मनरेगा योजना से मेढ़ बंधान एवं संतरे का बगिचा लगवाया गया है।

रविन्द्र पाल
प्रोग्रामर

सफलता की कहानी

जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पर मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ व साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं !!

परिवार पर निर्भर, पिंकी (बैंक सखी) अब स्वयं परिवार के लिए सहारा बनीः– (आजीविका मिशन राजगढ़)

ब्यावरा के अरनिया ग्राम की पिंकी सोलंकी आजीविका मिशन से जुड़कर ना केवल स्वयं को मजबूत कर पाई है, बल्कि सिलाई कार्य से जोड़कर अपने समूह को भी मजबूती प्रदान की है। ''रानी स्वयं सहायता समूह'' की बुक कीपर पिंकी सोलंकी स्वयं एक बैंक सखी है तथा प्रतिमाह 10,000 से अधिक की आय अर्जित कर रही है। समूह में शामिल अन्य महिलाएं भी व्यक्तिगत गतिविधियों के माध्यम से स्वयं को मजबूत करें हुए हैं। 12 सदस्यीय इस समूह में महिलाओं द्वारा सेंटरिंग कार्य, किराना दुकान, बकरी पालन, भैंस पालन के अलावा सामाजिक जागरूकता एवं महिला सुरक्षा से जुड़े सेनेटरी नैपकिन कार्य भी किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा सार्वजनिक बैठक के दौरान ग्राम की अन्य महिलाओं को स्वच्छता एवं नैपकिन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। पिंकी सोलंकी स्वयं भी क्लस्टर स्तरीय संगठन की क्षेत्रीय समन्वयक है। ब्यावरा में संचालित मोया संकुल स्तरीय संगठन के लिए समन्वयक का कार्य पिंकी चौहान द्वारा किया जा रहा है। कभी घर की चारदीवारी से बाहर न निकलने वाली पिंकी अब न केवल आसपास के ग्रामों में जाकर वित्तीय लेनदेन कर रही है। बल्कि स्वयं की गाड़ी भी खरीद चुकी है। परिवार पर निर्भर रहने वाली पिंकी अब स्वयं परिवार के लिए सहारा बनी हुई है।

रूषाली पोरस,
मु.का.अ.ज.पं.

''मायानाथ के पक्के मकान का सपना हुआ पूरा'' सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना ने दिया आकार

माँ नर्मदा की गोद में बसे खूबसूरत शहर होशंगाबाद के विकासखण्ड पिपरिया की ग्राम पंचायत हथवास की निवासी माया नाथ का अपने खुद के पक्के मकान का सपना साकार हो गया है। माया नाथ को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। आज दिनांक 12 सितंबर को गृह प्रवेशम कार्यक्रम के दौरान माया नाथ ने अपने परिवार के साथ पक्के मकान में प्रवेश कर लिया है।

माया नाथ अपने नये मकान को लेकर काफी खुश हैं। वर्षों पहले देखे पक्के मकान के सपने को आज प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा पूरा कर लिया। शासन से मिली दस मदद के साथ–साथ अपने पसीने की कमाई भी इस मकान में लगा दी।

माया नाथ अब तक मिट्टी के बने कच्चे मकान में रहती थीं। जिसके कारण उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बारिश के समय छत से पानी टपकना तो आम बात थी। और भी न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मुहल्ले शहर में बने पक्के मकानों को देखकर प्रतिदिन यही सोचती थी न जाने कब मेरे परिवार के सर पर भी पक्की छत होगी। न जाने कब इन परेशानियों से निजात मिलेगी।

फिर प्रधानमेंत्री आवास योजना का लाभ मिलते ही ऐसा लगा कि मेरे सपने को आकार मिलने का समय आ गया आज मैं और मेरा परिवार पक्के मकान में रहने आ गये।

माया नाथ ने पक्के मकान का मालिक बनने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त किया। माया नाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलता तो शायद मेरा सपना कभी साकार न होता। शासन की इस योजना ने उनके जीवन के साथ–साथ कई गरीबों के जीवन में भी नया सवेदा ला दिया है।

माननीय विधायक श्री ठाकुरदास नागवंशी जी, जनपद अध्यक्ष श्रीमति अर्चना साहू जी जनपद सीईओ श्रीमति शिवानी मिश्रा जी एवं ब्लॉक समन्वयक श्री विपिन तिवारी जी की उपस्थिति में आज मैंने अपने परिवार समेत अपने पक्के मकान में गृह प्रवेश किया।

संजय आचार्य,
संकाय सदस्य